# गो–सेवा

नगरीय निकायों द्वारा नगर में भ्रमण कर रहे निराश्रित/बेसहारा गोवंशों को कान्हा गौशाला/पशु आश्रय स्थलों में संरक्षण देकर उन्हें सुरक्षित परिवेश के साथ ही साथ संतुलित आहार, स्वच्छ पेयजल एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। निकायों द्वारा संचालित गौशालाओं में गोवंशों के भरण–पोषण में योगदान कर गोवंश की सेवा निम्नलिखित माध्यमों से की जा सकती है :–

1. गोवंश के कल्याण के लिए दान।
2. मासिक, वार्षिक या आजीवन आधार पर गौशाला के गोवंश को गोद लेकर।
3. गौशाला में प्रति गौवंश के भरण–पोषण हेतु चारे पर आने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए गौ–ग्रास हेतु मासिक, वार्षिक या आजीवन आधार पर सदस्य बनकर।
4. गौशाला में बने बायोगैस कम्पोस्ड खाद, गोकाष्ठ, गौमूत्र, गोनाईल, गोमय दीपक–मूर्ति इत्यादि का क्रय कर।
5. गोवंशों के आहार के लिये हरे चारे/भूसा/गुड़ इत्यादि गौशाला को निशुल्क उपलब्ध कराकर।
6. गौशाला के संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों/सामग्रियों को दान में देकर।
7. गौशाला में प्राथमिक विद्यालयों/स्कूलों के विद्यार्थियों के नियमित भ्रमण से बच्चों को गोवंश की महत्ता से परिचय कराते हुये गो–सेवा के लिये प्रेरित किया जा सकता है।